

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद

पत्रांक 737/पा0अ0वि0/पंजीकरण "सी" श्रेणी/18-19

दिनांक 27-7-18

पंजीकरण सं० 06/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्री राजेश कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री हीरामणि त्रिपाठी, निवासी 5/96 राहीद नगर कोरीव टाउन एरिया, थाना कोरीव, जिला इलाहाबाद को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में ठेकेदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्डों में मान्य होना तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.08.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/तथ्य यदि चलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं नियमानुसार किरिक कार्रवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.08.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट:- ठेकेदार को पंजीकरण/पूरी-पंजीकरण कराने के उपरान्त इस विभाग को निर्देशों के अन्तर्गत अधिकारी का पंजीकरण कराना एवं सकारण प्राप्त करना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल इलाहाबाद  
*25/7*

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिराशी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिराशी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद को पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कोरीव, इलाहाबाद द्वारा निर्गत एक0डी0आर0 खाता सं०-988900 पीयू00005040 दिनांक 24.07.2018 जमा धनराशि सं० 1,00,000.00 जो अयोहस्ताक्षरी के पदनाम बंधक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त जमानत धनराशि को अपनी सेफ कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक बंधक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. श्री राजेश कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री हीरामणि त्रिपाठी, निवासी 5/96 राहीद नगर कोरीव टाउन एरिया, थाना कोरीव, जिला इलाहाबाद द्वारा अधिराशी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद।

अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल इलाहाबाद।  
*25/7*